कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–822/2103 नया रायपुर, दिनांक 26/11/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Marwahi Division" Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 1.928 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42623/2019

संदर्भ:– छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–25/ 2020/ 10–2 दिनांक 09.10.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न)। उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाहते हुए प्रस्ताव मूलतः वापस किया गया है।

अतएव संदर्भ पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी प्रस्ताव में समाहित कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस किया जा रहा है।

संलग्नः– 1. संदर्भित पत्र मूलतः (2 पृष्ठीय)
2. प्रस्ताव मूलतः 3 प्रतियों में।

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 822/ 2104 रायपुर, दिनांक 26/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **वन मंडलाधिकारी**, मरवाही वन मंडल, मरवाही, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ–5–25/2020/10–2 नवा रायपुर, दिनांक ०१/10/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.928 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर का FCA 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–822/1673, दिनांक 14.09.2020 ।

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. आवेदित वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 5 से 7 में दर्ज है। उक्त विवरण में आवेदित वन भूमि 57 टुकड़ों में है तथा विवरण में एक ही कक्ष क्रमांक को अनेक बार आवेदित किया गया है। इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नही हो रहा है कि, उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है ।

उक्त आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग–II) में आवेदित उक्त वन भूमि का रकबा को कक्षवार एकजाई कर निम्न तालिका अनुसार प्रदाय करें :–

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 8 में गैर वन क्षेत्र का रकबा 11.518 हे. दर्ज है किन्तु विवरण नहीं दिया गया है।

3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 27 से 29 में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित भाग–2 के अनुक्रमांक 7 में (प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश) में DFO द्वारा कोई टीप/अनुशंसा नही की गई है।

4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 35 में वन मंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में दिनांक नही लेख किया गया है।

5. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 21 में लेख किया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर से ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुशंसा आवश्यक नही है। कृपया भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. 6–175 / 2017 WL, दिनांक 19.02.2018 का अवलोकन करें। इसमें उक्त क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल के प्रकरणों की अनुमति का अधिकार राज्य वन्यजीव बोर्ड को सशर्त प्रदाय किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।
(प्रस्ताव मूलतः 2 प्रतियों में)।

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.कमांक एफ–5–25 / 2020 / 10–2 नवा रायपुर, दिनांक 09/10/2020

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल, मरवाही छत्तीसगढ़।
4.आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग